(c) According to Delhi Administration no information has been suppressed.

AIIMS Nurses Strike

1755. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Nurses of AIIMS, Delhi have decided to go on a strike for acceptance of their long standing demands;

(b) what are the demands of the nurses and what is the response of Government to the same?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) and (b) The nurses have been insisting on the acceptance of their demands which inter-alia include implementation of the cadre review, provision of accommodation etc. Discussions have already been held with their representatives with the objective of providing upward mobility to the nursing cadre while ensuring that proper patient care facilities continue to be provided.

भारतीय चिकित्सा प्रणाली का प्रमाण पत्र रखने वाले डाक्टरों का रोजगार हेतु पंजीकरण

1756. श्री कैलाश नारायण सारंग : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किये बिना मान्य अधिकारी व्यक्ति भी चिकित्सा व्यवसाय/सरकारी सेवा हेतु रोजगार कार्यालय में अपने नाम पंजीकृत नहीं करा सकते;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ उम्मीदवारों को, जिन्होंने वर्ष 1989 में पंजीकरण हेतु आवेदन किया था, उन्हें आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली बोर्ड, दिल्ली प्रशासन द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए हैं, जबकि उनके पास मान्यता प्राप्त उपाधियां भी हैं तथा उनके नाम में पंजीकरण संख्या भी आवंटित है;

(ग) यदि हां, तो उनके नाम व पते क्या-क्या हैं; और

(घ) इन उम्मीदवारों को चिकित्सा व्यवसाय/सरकारी सेवा में जाने से इतने वर्षों तक वंचित रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी शंकरानन्द) : (क) आधुनिक चिकित्सा प्रेक्टिस के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीकरण अपेक्षित है जबकि आयुर्वेद/यूनानी चिकित्सा प्रेक्टिस करने के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र दिल्ली प्रशासन के आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के बोर्ड द्वारा जारी किए जाते हैं। इसी प्रकार, होम्योपैथी चिकित्सा प्रेक्टिस के लिए होम्योपैथी, चिकित्सा पद्धति बोर्ड, दिल्ली द्वारा पंजीकरण किया जाता है।

(ख) से (घ) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे मामले (संलग्न विवरण) अर्हताओं के सत्यापन में होने वाली कुछेक समस्याओं के कारण लम्बित हैं। बोर्ड ने इन मामलों की छानबीन/विस्तृत जांच के लिए आदेश दिया है।

विवरण

उन व्यक्तियों जिन्होंने वर्ष 1989 के दौरान आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के बोर्ड, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में पंजीकरण के लिये आवेदन किया था, तथा जिनके मामले बोर्ड के पास लंबित पड़े हैं, के नाम एवं पते।

क्रम सं०	नाम	पता
1	नागेन्द्र प्रसाद दुबे	गांव-ब्रह्मदेव डाकखाना-बेलाघाट, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
2	सतीश पाठक	सी-1, गणेश नगर, नई दिल्ली–110018
3	बद्री प्रसाद मिश्रा	3636, गली राजनाथ पटवा, पहाड़गंज, नई दिल्ली–110055
4	प्रेम सिंह सकलानी	क्वार्टर नं. 73/14, काबुल लाइन, नई दिल्ली।
5	आनंद प्रकाश	डी–1/25, महात्मा गांधी नगर, गली नं. 5, महावीर एन्क्लेव, नई दिल्ली–110054
6	श्रीमती सुभद्रा त्यागी	बी जी–1/39, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063

Oslers case

1757. SHRI DIGVIJAY SINGH:
SHRI MOHINDER SINGH LATHER:
SHRI ANANT RAM JAISWAL:
SHRI M. A. BABY:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Drug Controller (India) had received a complaint regarding the highly contaminated glucose bottles which has been manufactured by M/s Oslers Limited Coimbatore;

(b) if so, whether the Drugs Controller (India) had taken any action;

(c) the varacity of the complaint;

(d) whether any investigation has been conducted;

(e) if so, the details of the investigation; and

(f) the action taken so far in this regard?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) to (f) On the basis of the request received from the Drugs Controller (India) had the Drugs Controller (India) had